

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 61/2025

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :- 20/06/2025

अनुवान गोपालसिंह बनाम राजस्थान राज्य


आदेश


प्रार्थी के ख़ाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज धैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा के पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 36 के अनुसरण में ग्राम राणासर पंगारान तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में ख़ाता नया 502 पुराना 442 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक .20.06/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

ग्राम	ख़ाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
राणासर पंगारान	502(442)	गोपीराम पुत्र रणजीतसिंह	गोपाल सिंह पुत्र रणजीतसिंह

पे : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।
प्रार्थी श्री / श्रीमती


दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)


दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)

